

## अनुमंडल कार्यालय, पश्चिम मुजफ्फरपुर


(गोपनीय प्रशाखा)

\*\*\*\*\*


—:: आम सूचना ::—

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डेलुआ हाट, पारू जिसकी सुरक्षित जमा राशि— 51750/- (एकावन हजार सात सौ चपास) रूपये है की बंदोबस्ती अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 13.12.19 को अपराह्न 03:00 बजे निम्न शर्तों पर की जायेगी :-

1. बंदोबस्ती में भाग लेने हेतु सुरक्षित जमा राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
2. दोबस्ती में भाग लेने वाले वीडर को अपराधिक मूकदमा दायर नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति पर पूर्व में किसी प्रकार का बकाया नहीं होंगे।
4. सफल बंदोबस्तीदार को बंदोबस्ती के दिन ही शत-प्रतिशत राशि अंचल नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
पश्चिम मुजफ्फरपुर।

- ज्ञापांक : 257- गो०, दिनांक : 11/3/2019
- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, ~~सदर~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि बंदोबस्ती सूचना सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि वर्णित आम सूचना को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की कृपा की जाये।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

  
09/03/19  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
पश्चिम मुजफ्फरपुर।


## अनुमंडल कार्यालय, पश्चिम मुजफ्फरपुर (गोपनीय प्रशाखा)

\*\*\*\*\*

--: आम सूचना :-


एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बनौली हाट, सरैया जिसकी सुरक्षित जमा राशि- 82465/- (बेरासी हजार चार सौ पैसठ) रूपये है की बंदोबस्ती अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 13/3/19 को अपराहन 03:00 बजे निम्न शर्तों पर की जायेगी :-

1. बंदोबस्ती में भाग लेने हेतु सुरक्षित जमा राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
2. बंदोबस्ती में भाग लेने वाले वीडर को अपराधिक मूकदमा दायर नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति पर पूर्व में किसी प्रकार का बकाया नहीं होंगे।
4. सफल बंदोबस्तीदार को बंदोबस्ती के दिन ही शत-प्रतिशत राशि अंचल नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
पश्चिम मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 256 गो०, दिनांक : 11/3/19

- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बंदोबस्ती सूचना सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वर्णित आम सूचना को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की कृपा की जाये।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
पश्चिम मुजफ्फरपुर।